देवीसिंह / महेन्द्र

9-7-19 उभय पक्ष के अभि० उप० / समझौता वार्ता में निर्णय नहीं निकला। पत्रावली वास्ते निर्णय दिनांक 15-7-19 को पेश हो।

15-7-19 ....पत्रावली पेश हुई। पी.ओ. साहब अवकाश दिवस
अन्य कार्य में व्यस्त हैं/बाहर पधारे हैं।
उभयपक्ष के अभि.उप. आयन्दा दिनांक 24-7-19
को पेश हो।

रीडर

24-7-19 उभय पक्ष के अभि० उप० / प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 व्यवहार प्रक्रिया संहिता स्वीकार किया जाता है/ दावा खारिज किया जाता है। निर्णय पृथक से शामिल मिसल किया गया। पत्रावली बाद तकमील होकर दाखिल रिकार्ड हो।

Scanned by CamScanner

न्यायालय उपखण्डाधिकारी किशनगढ़-बास (अलवर)
==

अध्यासित द्वारा :- श्री सुरेन्द्र प्रसाद आर.ए.एस.

दावा संख्या :- 3/17

दायर तिथि :- 2-1-17

उनवान

1- देवीसिंह पुत्र प्रतापसिंह जाति राजपूत निवासी जगताबर्डई तहसील किशनगढ़-बास हाल निवासी 2 रघु कॉम्पलेक्स स्कीम नं. 10 हरिश हॉस्पिटल के पास अलवर। :- वादी

बनाम

1- महेन्द्रसिंह पुत्र सुरेन्द्रसिंह

2- ज्ञानेन्द्रसिंह पुत्र सुरेन्द्रसिंह जाति राजपूत निवासी बर्डईजगता तहसील किशनगढ़-बास हाल निवासी 171 पत्रकार कॉलोनी बुध विहार अलवर। :-प्रतिवादीगण

(दावा आदेशात्मक व्यादेश)

प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 जा.दी.

उपस्थिति :- 1- श्री भुवनेश कुमार तिवाडी एड. प्रार्थी/प्रति. की ओर से।

2- श्री महावीरप्रसाद शर्मा एड. अप्रार्थी/वादी की ओर से।

24-7-19 पत्रावली पेश हुई। दावे के सूक्ष्म वृतान्त निम्न प्रकार से हैं:- वादी ने दावा आदेशात्मक व्यादेश मशअरे इसके कि प्रतिवादीगण ने मिन वादी की आ.ख. नं. 408/0.1500 वाके ग्राम बर्डईजगता की पश्चिम दिशा 15-20 फुट की छोल मिसमार की है, उसे प्रतिवादीगण से उनके खर्चे पर पुनः कायम कराई जावे वो उक्त आराजी की पैमाईश कराकर पत्थर गढी कराई जावे वो प्रतिवादीगण को जरिये हुक्मइम्तनाई दवामी पाबन्द किया जावे कि प्रतिवादीगण मिन वादी की उपरोक्त आराजी में जबरन प्रवेश नहीं करें, ना ही वादी को जबरन बेदखल कर कब्जा करे, ना ही वादी के उपयोग उपभोग में किसी प्रकार मजाहमत पैदा करे, ना ही जबरन आराजी उक्त से मिट्टी उठावे।

दावा प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादीगण ने प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 जा.दी. पेश किया।

Scanned by CamScanner

प्रतिवादीगण ने अपने प्रार्थना पत्र में अंकित किया है कि वादी ने आदेशात्मक आज्ञा {मेंडेन्टरी इन्जक्शन} का किया है व पत्थर गढी का किया है। जबकि वादी को अव्वल पैमाईश करानी चाहिये जिससे पता चले कि उसका रकबा पूरा है या नहीं। अगर नहीं तो किसी खेत में रकबा है। तथा राजस्व अदालत आदेशात्मक आज्ञा जारी भी नहीं कर सकती। इसलिए वाद चलने योग्य नहीं है। अतः प्रार्थना है कि वाद वादी खारिज फरमाया जावे।

अप्रार्थी/वादी ने प्रार्थना पत्र का जवाब पेश किया कि मिन वादी ने वाद में पैमाईश कराने के लिए प्रार्थना पत्र दिनांक 23-4-18 को प्रस्तुत किया हुआ है । इसलिए अव्वल पैमाईश कराना न्यायोचित एवं न्याय संगत है ताकि किस पक्षकार का कितना रकबा किस खेत में दबा हुआ है वो सीमाज्ञान कराने के बाद पत्थर गढी कराया जाना न्याय संगत है। प्रति० बेजा मुकदमा को लम्बा करने की नियत से प्रार्थना पत्र पेश किया है।

अतः जवाब प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन है कि प्रतिवादी का प्रार्थना पत्र दिनांक 8-4-19 आदेश 7 नियम 11 जा. दी. मय खर्चा खारिज फरमाया जावे।

प्रा. पत्र 7{11}जा.दी. पर उभयपक्ष के अभिभाषकगण की बहस सुनी गई। वकील प्रार्थी/प्रति. ने अपनी बहस में बताया कि वादी ने आज्ञापर्क आदेश{मेंडेन्टरी इन्जक्शन} का पेश किया जो न्यायालय श्रीमान के क्षेत्राधिकार में नहीं आता है। वादी द्वारा आराजी विवादित की कोई पैमाईश नहीं कराई है ना ही पैमाईश रिपोर्ट पेश की है। वादी पैमाईश के बाद ही पत्थरगढी करा सकता है। वादी द्वारा ऐसा कोई सबूत भी पेश नहीं किया है कि जिससे यह पता लगाया जा सके की वादी का रकबा हमारे खेत में दबाया हुआ है। इसलिए वादी का वाद चलने योग्य नहीं प्रा. पत्र स्वीकार किया जाकर वाद खारिज फरमाया जावे। वकील अप्रार्थी/वादी ने बताया कि वाद में पैमाईश हेतु प्रार्थना पत्र पेश किया हुआ है। पैमाईश कराई जाकर पत्थर गढी कराया जाना न्यायोचित है। प्रतिवादीगण द्वारा प्रार्थना पत्र वाद को लम्बा करने की नियत से पेश किया है। प्रार्थना पत्र खारिज किया जाकर तहसीलदार से पैमाईश कराई जावे।

हमने उभयपक्ष की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली का अवलोकन किया। वादी द्वारा आदेशात्मक व्यादेश का दावा पेश कर कथन किया है कि प्रतिवादीगण ने मेरी आ. ख. नं. 408/0. 1500 की पश्चिम दिशा में 15-20 फूट रकबा दबाकर डोल को मिसमार करदिया है। वादी द्वारा अपने इस अभिकथन की पुष्टि में कोई पैमाईश रिपोर्ट पेश नहीं की है।

अब वाद में पैमाईश कराये जाने हेतु प्रा॰ पत्र पेश किया है। जबकि वादी को वाद दायर करने से पूर्व ही पैमाईश हेतु तहसीलदार के समक्ष आवेदन पत्र पेश कर पैमाई करानी चाहिये थी। और वाद पैमाईश पश्चात्वर्ती हेतु आवेदन करना चाहिये था। ऐसी स्थिति में वादी द्वारा प्रस्तुत मेंडेन्टरी इन्जक्शन का वाद चलने योग्य नहीं है। प्रार्थी/प्रति॰ का प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 जा॰दी॰ स्वीकार किये जाने योग्य है।

अत: आदेश हैं कि:-

प्रार्थी/प्रति॰ का प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 जा॰दी॰ स्वीकार किया जाकर वादी द्वारा प्रस्तुत दावा आदेशात्मक व्यादेश बाबत आ॰ क॰ नं॰ 408/0॰ 1500 वाके ग्राम बसई जगता तहसील किशनगढ-बास खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल रिकार्ड हो। निर्णय टंकित कराया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उपखण्डाधिकारी
किशनगढ-बास, अलवर